11.1/

माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31.07.2010 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31.07.2010 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , मेरठ के Old Campus (BEDF) में सम्पन्न हुई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी ।

1	डा0 अरविन्द कुमार वख्शी , कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा, मा0 विधान परिषद सदस्य	सदस्य
3	श्री शाहिद मंजूर, मा0 विधायक	सदस्य
4	श्री चन्द्रवीर सिंह , मा0 विधायक	सदस्य
5	श्री अमिताभ ,विशेष सचिव , कषि शिक्षा एवं अनुसंधान,उ0प्र0शासन नामित सदस्य प्रमुख सचिव, कृषि	सदस्य
6	श्री वसी मोहम्मद , संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेशन , नामित सदस्य अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
7	श्री एम0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक ,कृषि, मेरठ नामित सदस्य कृषि निदेशक ,उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	डा0 आर0 के0 मित्तल ,ए0डी0 जी0 आई0सी0ए0आर0,नई दिल्ली	सदस्य
9	डा0 के0 सी0 सिंह, प्राचार्य, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
10	श्रीमती उर्मिला देवी, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
11	श्री मनोज कुमार , प्रगतिशील कृषक	सदस्य
12	श्री सतीश कुमार उर्फ सुधीर त्यागी , कृषि उद्योगपति	सदस्य
13	श्री श्याम सुन्दर , लाईव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
14	श्री ज्ञान सिंह , वित्त नियन्त्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति जी / अध्यक्ष ने प्रबन्ध परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की ।

संकल्प सं0 1 माननीय प्रबन्ध परिषद की चतुर्दश बैठक दिनांक 07.02.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की चतुर्दश बैठक दिनांक 07.02.2009 के कार्यवृत्त सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया था जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । अतएव कार्यवृत्त की सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी ।

संकल्प सं0 2माननीय प्रबन्ध परिषद की चतुदर्श बैठक दिनांक 07.02.2008 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या ।

(सकल्प सं0 6) विश्वविद्यालय के मास्टर प्लान का Lay Out Plan अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी श्री नसीम अहमद , उप निदेशक निर्माण के पत्र संख्या डब्लू. पी. / डब्लू.सी. / बी. / ओ. एम. / मास्टर प्लान / 1601 दिनांक फरवरी 01, 2010 ही प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं हैं इस सम्बन्ध में प्रकरण में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में विशेष सचिव ,

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ०प्र० शासन से भी पत्र प्राप्त होना चाहिए। निर्देशित
किया गया कि इस सम्बन्ध में विशेष सचिव से भी लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में अनुस्मारक पत्र भेजकर निर्देश प्राप्त किये जाय ।

(कार्यवाही –प्रभारी अधिकारी निर्माण)

इसके अतिरिक्त फसल प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, मोदीपुरम, मेरठ से जमीन वापस लेने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का पत्र सं0सवप/09/शोध/1187 दिनांक 02.12.2009 भेजा गया इसके उपरान्त कोई अनुस्मारक नहीं भेजा गया जिस पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में शासन को अनुस्मारक भेजा जाय और इस सम्बन्ध में आई0सी0ए0आर0 से भी आख्या प्राप्त की जाय। प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जाय ।

(कार्यवाही –निदेशक शोध)

(संकल्प सं0 16) कृषि विश्वविद्यालय मेरठ मे शासन से स्वीकृत पद तकनीशियन रू0 4500–7000 पर नियुक्ति की गयी थी । कार्यरत तकनीशियन द्वारा वेतनमान 5000–8000 की मॉग के सम्बन्ध में ।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय का पत्र संख्या सवप/वी0सी0/1238/2009 दिनांक 18.02.2009 शासन को पत्र भेजा गया उसके उपरान्त कोई अनुस्मारक नहीं भेजा गया प्रकरण में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अनुस्मारक भेजे जाय और प्रकरण में प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय ।

(कार्यवाही –मुख्य कार्मिक अधिकारी)

(संकल्प सं0 17) विश्वविद्यालय में कार्यरत कृषि प्रक्षेत्रों पर स्टाफ को शासन द्वारा निर्धारित समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय का पत्र संख्या सवप/वी0सी0/1237/2009 दिनांक 18.02.2009 शासन को पत्र भेजा गया उसके उपरान्त कोई अनुस्मारक नहीं भेजा गया प्रकरण में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अनुस्मारक भेजे जाय और प्रकरण में प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय ।

(कार्यवाही –मुख्य कार्मिक अधिकारी)

शेष सकल्पों पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अनुमोदन किया गया ।

संकल्प सं0 3 माननीय प्रबन्ध परिषद की आपात कालीन बैठक दिनांक 05.12..2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

माननीय प्रबन्ध परिषद की आपात कालीन बैठक दिनांक 05.12..2009 के कार्यवृत्त सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया था जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है अतएव कार्यवृत्त की सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी ।

संकल्प सं0 4 माननीय प्रबन्ध परिषद की आपात कालीन 15 वीं बैठक दिनांक 05.12. 2009 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या ।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की रिर्पोट को लागू कराने हेतु कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है । अनुपालन आख्या का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही मुख्य कार्मिक अधिकारी)

प्रस्ताव सं0 5 छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों / अधिकारियों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों / अधिकारियों के लिये छठे वेतनमान की संस्तुतियों के अनुसार वेतन मान , प्रसुति अवकाश,सीमा में वृद्वि , मकान किराया भात्ता, नगर वेतन भत्ता ,(संशोधित दरें) अवशेष वेतन भुगतान की प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिवार कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन ,बाल्य देखभाल अवकाश एवं सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था से सम्बन्धित 12 शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही मुख्य कार्मिक अधिकारी)

प्रस्ताव सं0 6 : मा0 प्रबन्ध परिषद की दिनांक 16.10.2008 को सम्पन्न हुई त्रयोदश बैठक में संकल्प संख्या 5 पर लिये गये निर्णयानुसार पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु शिक्षकों की नियुक्ती के सम्बन्ध में वैटरनरी कालेज मथुरा एवं वी0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप एवं शिक्षणेत्तर पदों की योग्यता एवं अर्हताओं के अनुमोदन का प्रस्ताव

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई विचार–विमर्श के उपरान्त यथा स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापन के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

Qqualifications for Veterinary College, Sardar Vallabhai Patel University of Agriculture, Meerut

Dean, Veterinary faculty (Pay Scale of Rs.16400-22400 plus allowances)

1. A recognized veterinary qualifications included in the first and second schedule in Indian Veterinary Council Act; 1984 & must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India.
2. PhD degree in any branch of Veterinary Science
3. At least 05 years experience as a Professor (Rs. 16400-22400) (Pre-revised) or in an equivalent position OR An eminent scientist having proven record of scientific contribution/working in a reputed organization/institute having at least 18 years experience in the relevant subject
4. The tenure of the Dean will be for a period of 05 years, subject to other rules of service, age bar etc. in the university.
5. The candidates must not have attained the age of 60 years as on closing date.

(a) **Lab Technician :** Graduation in science/Agriculture Science
Desirable: Computer knowledge / diploma in laboratory technician

(b) **Audio visual Technician :** Graduation in science./ Agriculture Science
Desirable: Computer knowledge/ diploma in audio visual aid or experience of working with audio visual aid in Govt./Semi Govt. organization/University.

Computer Operator Grade-A (Rs. 5200-20200 GP 2400.00)
BCA/PGDCA with Typing speed of 80 & 30 wpm in English & Hindi respectively
Experience : 02 years working experience as computer operator in Govt./Semi Govt. organization/University.

Stenographer Grade-2 (Rs. 5200-20200 GP 2400.00)
BCA / PGDCA with Intermediate with short hand and typing speed of 80 & 30 wpm in English & Hindi respectively on computer

Experience: 02 years working experience as clerk in Govt./Semi Govt. organization/University.
Desirable: Having a good Computer knowledge

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 7 शैक्षणिक शुल्क बढ़ाये जाने एवं अन्य शैक्षणिक दिशा निर्देशों हेतु प्रस्ताव ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कार्यवाही–कुल सचिव)

पुन:

संकल्प सं0 8 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , मेरठ में नियुक्तियों के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के आधार पर की गयी जॉच से सम्बन्धित प्रमुख सचिव , कृषि शिक्षा अनुसंधान के पत्र सं0 394/67–कृ0शि0अ0–08–1500(81)/07 दिनांक 13.05.2008 द्वारा दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में ।

शासन के निर्देशानुसार जॉच रिर्पोट मा0 प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्ररतुत की गयी जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और प्रकरण में श्री तनवीर जफर अली अपर आयुक्त मेरठ मण्डल , मेरठ की आख्या दिनांक 25.01.2008का अनुमोदन किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन किया जाय समिति उन कर्मचारियों / अधिकारियों को चिन्हित करेगी जिनकी नियुक्तियां इस प्रकरण से सम्बन्धित हो और नियुक्तियों के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित कार्यवाही को माननीय प्रबन्ध परिषद के समक्ष रखा जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 9 कृषि विज्ञान केन्द्र बघरा (मुजफ्फरनगर) पर कार्यरत श्री संजीव कुमार (प्रशिक्षण सहायक) द्वारा 286 दिन के चिकित्सा अवकाश अवैतनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

इस प्रस्ताव पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार विर्मश किया गया और यह पाया गया कि श्री संजीव कुमार द्वारा अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हे भेजे गये कार्यालय के पत्रों का कोई जबाब नहीं दिया गया । अतः उनकी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो सका । इस कारण उनका दिनांक 06.11.2006 से 30.12.2007 तक की अवधि का अवकाश अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया । निदेशक प्रसार प्रकरण की पूर्ण रूप से जॉच कर अनुपस्थिति के कारणों का पता लगायें और जॉच रिर्पोट के आधार पर श्री संजीव कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर माननीय प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी / निदेशक प्रसार)

संकल्प सं010 डा0 डी0 के0 सचान, प्रशिक्षण सहायक (सस्य विज्ञान) एवं श्री तेज बहादुर यादव प्रशिक्षण सहायक (पशुपालन) वेतनमान रू0 1740–3000 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वेतनमान रू0 2200–4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000–13500) प्रदान किये जाने पर पुर्नविचार करने के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुये आई0सी0ए0आर से निर्देश प्राप्त कर लिये जाये और आई0सी0ए0 आर0 से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी / निदेशक प्रसार)

पुन:

संकल्प सं011 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षकों / समकक्ष पदों पर कार्यरत वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के संबंध में।

प्रकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई ।विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के परीक्षण हेतु एक समिति गठित की जाय जिसमें माननीय प्रबन्ध परिषद के दो सदस्य श्री शाहिद मंजूर माननीय विधायक एवं डा0 के0सी0 सिंह ,प्राचार्य को भी सम्मलित किया जाय । समिति की आख्या को माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

पुनः **संकल्प सं012.कृषि विश्वविद्यालय मेरठ पर कार्यरत शिक्षकों /समकक्षों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/सिम्पोजियम में भाग लेने हेतु नियम एवं शर्तो के संबध में।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई । विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं013.विश्वविद्यालय द्वारा पदों के विज्ञापन में विज्ञापित पदों के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

पुनः **संकल्प सं014.कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न विभागों में अधिनियम के अन्तर्गत नियमों/परिनियमों में दी गई व्यवस्थानुसार विभागाध्यक्ष का कार्य एवं दायित्व सम्पादित करने के संबंध में।**

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई । मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 5 (2) (ii)के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिय गया । The term of a Head of Department no change shall be of 3 years which can be extended for a further period of 3 years.

परन्तु माननीय सदस्य डा0 आर0 के0 मित्तल ,ए0डी0 जी0 आई0 सी0 आर द्वारा अवगत कराया गया कि आई0 सी0ए0आर0 के माडल एक्ट को दृष्टिगत रखते हुये विभागाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष रहना उचित होगा क्योकि विश्वविद्यालय को Accredited कराने हेतु आई0 सी0 ए0 आर के माडल एक्ट का पालन करना होगा। तभी आई0 सी0ए0आर0 से विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त हो सकेगा। मा0सदस्यों को उक्त सुझावों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझा गया और निर्णय लिया गया कि प्रकरण का आई0 सी0 आर0 द्वारा निर्धारित मानको को दृष्टिगत रखते हुये पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं015. माननीय प्रबन्ध परिषद् की त्रयोदश बैठक दिनांक 16.10.2008 के संकल्प संख्या 04 के द्वारा स्वीकृत मानदेय को यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षण कार्य हेतु निर्धारित मानदेय/नियत वेतन बढ़ाये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि आई0 सी0आर0 / यू0जी0 सी0 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षण कार्य हेतु मानदेय / नियत वेतन दिये जाने का निम्नुसार प्रावधान किया जाय ।

"The UGC/ICAR has decided that the Guest/Part-time Teachers/ Adjunct faculty who possess the minimum qualification for the post of

an Assistant Professor should be paid Rs. 1000/- per lecture to a maximum for Rs. 25000/- per month."

यह प्रावधान विश्वविद्यालय में समय–समय पर अन्य सस्थाओं से बुलाये जाने वाले Guest Lecturers पर भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।

गेस्ट लेक्चर हेतु सेवा निवृत्त शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं016 **विश्वविद्यालय कार्य हित में IBM Bangalore, PAU Ludhiana एवं CISH Lucknow, संस्थाओं से किये गये MOU के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई । विचार विर्मश के उपरान्त निम्न निर्देशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

1 एम0 ओ0 यू0 पर शासन / महामहिम राज्यपाल जी का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।
2 एम0ओ0यू0 के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं का ही उपयोग किया जाय ।
3 एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत कार्यक्रम स्व वित्त पोषित योजना के आधार पर चलाया जायेगा ।
4 डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्रों का प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किये जाने के प्रभावी प्रयास किये जायेगें ।
5 एम0सी0ए0,एम0आई0टी0 प्रोग्राम के लिये आई0 बी0 एम0 को कोई फीस विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी जायेगी । आई0बी0 एम0 छात्रों एवं विश्वविद्याल के शिक्षकों को निःशुल्क प्रशीक्षण प्रदान करेगा ।

(कार्यवाही– मुख्य कर्मिक अधिकारी / श्री दीपक सिसोदिया , प्रभारी आई0टी0)

Action taken

संकल्प सं017 **To start ON-CAMPUS vocational courses to generate resources and enhance self sustainability of the University.**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरानत वोकेशनल कोर्स क्रम स 14 एवं 15 को चलाये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

S.N0	Course	Code	Duration	Eligibility	Fee(R.S.)
14	Diploma course on fruit and vegetable processing	DCFP	1Year	10+2	50,000-00
15	Diploma course on bakery technology	DCBT	1Year	10+2	50,000-00

(कार्यवाही– विभागाध्यक्ष खाद्य प्रौ0 एवं कृ0 अ0 / प्रो0 शमशेर)

कृ.ए.

संकल्प सं018 **IVth Deans' Committee की संस्तुति उपरान्त वर्ष 2008 से बी0एस0सी0 (कृषि) ऑनर्स पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय Academic Regulations में दिये गये नियमों में कुछ परिवर्तन कर Faculty of Agriculture की बैठक से पारित कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।**

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई पुनः परीक्षण कर माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही –अधिष्ठाता कृषि)

संकल्प सं019 संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (CATET)-2011 के सम्पादन में अधिकारियों, शिक्षकों एवं परीक्षा सम्पन्न कराने वाले सहायकों को दिये जाने वाले मानदेय की दरों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निम्नवत है।

संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (CATET)-2011 के सम्पादन में अधिकारियों, शिक्षकों एवं सहायको को दिये जाने वाला निर्धारित मानदेय कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की दरो के समान मेरठ विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही –कुल सचिव)

पुनः **संकल्प सं020 कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण (Score Card) अनुमोदित करने विषयक।**

प्रस्ताव पर विचार विर्मश के उपरान्त निर्णय लिया गया कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षकों को वेतनमान दिये जाने के उपरान्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही –निदेशक प्रसार)

पुनः **संकल्प सं0 21 विश्वविद्यालय में छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारण तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पूर्व विज्ञापन संख्या II/2008 को निरस्त कर समस्त रिक्त पदों को विज्ञापन करने के अनुमोदन विषयक ।**

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं022 वित्तीय वर्ष 2009–10 का आय –व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 का प्रस्तावित आय –व्ययक के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय का वर्ष 2009 –2010 का वास्तविक आय– व्यय एवं 2010–11 का प्रस्तावित आय –व्यय का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । और यह भी अनुमोदन किया गया कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मदवार आय–व्यय के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करना चाहें । नई मॉग की आवश्यकता होने एवं आय व्यय में विचलन की स्थिति में माननीय प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(कार्यवाही– वित्त नियन्त्रक)

संकल्प सं023 वित्तीय वर्ष 2005–06 का आर्थिक चिठठा के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

वित्तीय वर्ष 2005–06 का आर्थिक चिठठा जो चार्टेट एकाउन्टेन्ट से आडिटेड है । माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कार्यवाही– वित्त नियन्त्रक)

संकल्प सं0 24 विश्वविद्यालय में दो नये वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विर्मश किया गया और यह निर्णय लिया गया कि शासन के आदेशों के अनुसार नये वाहन क्रय नहीं किये जायेगें लेकिन यदि कोई पुराने वाहन अनुपयोगी हो गये हो तो उनके स्थान पर दुसरे वाहन क्रय किये जाएं ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी पूल / वाहन)

पुनः

संकल्प सं0 25 Proposal for Memorandum of understanding betweeen Sardar VallabhBhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut and M/s Jain Irrigation Systems Limited (JISL), Jalgaon.

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई । विशेष सचिव द्वारा मत व्यक्त किया गया कि संस्था सर्व प्रथम अपना प्रदर्शन करे उसके उपरान्त विचार कर एम0ओ0 यू0 के अनुमोदन निर्णय लेना उचित होगा जिसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया । अतः निर्णय लिया गया कि मैसर्स Jain Irrigation Systems Limited (JISL), Jalgaon वोर्ड के समक्ष अपने प्रस्ताव एवं दी जाने वाली सुविधाओं का प्रदर्शन बोर्ड के समक्ष करें । इसके उपरान्त ही एम0ओ0 यू0 पर प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

(कार्यवाही –कुल सचिव)

संकल्प सं0 26 : कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उत्तराखण्ड) में लागू नियम–परिनियम को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के नियम–परिनियम अनुमोदन होने तक लागू करने के संबंध में।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई । विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उत्तराखण्ड) के उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के विभाजन से पूर्व नियमों / परिनियमो को जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये हैं , कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में लागू माना जायेगा और उसके उपरान्त कृषि विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों /नियमों का ही अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(कार्यवाही –कुल सचिव / मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 27 अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

पुनः

अ– कुलपति कार्यालय हेतु व्यैक्तिक सहायक / विशेष कार्याधिकारी / तकनीकी सलाहकार नियत वेतन पर संविदा के आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और जानकारी दी गयी कि वैक्तिक सहायक / विशेष कार्याधिकारी / तकनीकी सलाहकार स्वीकृत करने के लिये विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इन पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय । शासन से पद स्वीकृत होने तक उपरोक्तानुसार नितान्त कामचलायू व्यवस्था के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियत धनराशि पर सेवा निवृत्त सुयोग्य अधिकारियों /कर्मचारियों को रखने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय परन्तु इस व्यवस्था पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय के स्रोतों से वहन किया जायेगा ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

ब– कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अधिकारी / कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति एवं निर्माण कार्य में की गयी अनियमिताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मेरठ से जॉच अधिकारी नामित किये जाने हेतु अनुरोध करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कृषि विश्वविद्यालय मेरठ कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अधिकारी / कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति एवं निर्माण कार्य में की गयी अनियमिताओं के सम्बन्ध में आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के स्तर से जॉच कराने हेतु महामहिम श्री राज्य पाल जी उत्तर प्रदेश को अनुरोध किया जाय ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

स– **कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अधिष्ठान /संस्थापना से सम्बन्धित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद के सृजन हेतु शासन से पुनः अनुरोध करने तथा शासन से पद सृजित होने तक इस पद के कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन करने वाले प्राध्यापक को अपने पद के साथ–साथ मुख्य कार्मिक अधिकारी पदनाम से सम्बोधित करने के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अधिष्ठान /संस्थापना से सम्बन्धित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद के सृजन/ स्वीकृत कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय । पद सृजित होने तक वर्तमान प्रचलित व्यवस्था को जारी रखा जाय ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

द– **कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त सत्र लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त सत्रा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

य– **कम्प्यूटर आपरेटरों को संविदा पदो के स्थान पर नियमित वेतनमान/ विनियमितिकरण /समायोजन के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई । विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

अन्त में सचिव माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया । तदनुसार बैठक सम्पन्न हुई ।

(ज्ञान सिंह)
वित्त नियन्त्रक / सचिव प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित
02/08/2010
(अरविन्द कुमार वख्शी)
कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110